

न्यायालय – भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०– 06/2015-16

गुलाम रब्बानी पिता स्व० अब्दुल गफूर  
ग्राम-चर्च रोड कर्बला चौक, थाना-लोअर बाजार,  
जिला-राँची।

– अपीलकर्ता

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी।

– विपक्षी

**आदेश**

18.07.19

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-128R27/15-16 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.15 के विरुद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-

मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)
भंडरा	खूँटी 97	110	789	2.70

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने को सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद में **Admit** किया गया। आवेदक कथन करते हैं कि उन्होंने उपरोक्त भूमि पंजीकृत बिक्री केवाला सं० 1331/1299 दिनांक 22.10.14 से क्रय की है। उपरोक्त केवाला पट्टा के निष्पादनकर्ता मंसुर आलम पिता स्व० लियाकत हुसैन (मियां) हैं। विक्रेता के पिता के द्वारा उक्त भूमि निलामी से खरीद की गयी थी। जो उन्हें आपसी बँटवारे से प्राप्त हुई है जिसपर वे शांतिपूर्ण दखलकार हुये। अपने हिस्से में आई भूमि को आवेदक के पक्ष में बिक्री किये हैं एवं दखल दे दिये हैं।

आवेदक/अपीलेंट पुनः कथन करते हैं कि अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.15 तथ्य एवं विधि विरुद्ध है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक को सुने बिना उपरोक्त आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।


अंचल अधिकारी, खूँटी ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि मौजा भण्डरा के खाता नं०- 110 प्लॉट नं०- 789 रकबा- 2.70 एकड़ का राजस्व पंजी- II रैयत मंसुर आलम पिता स्व० लियाकत हुसैन (मियां) दर्ज है। खतियान में खाता नं०- 110 गैर मजरूवा खास दर्ज है। आवेदित भूमि के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की गयी है। भूमि पर क्रेता का दखल नहीं पाया गया। प्लॉट नं०- 789 वन क्षेत्र प्लॉट है। अपीलकर्ता से M-Form का सत्यापन प्रति की मांग किया गया परन्तु अपीलकर्ता द्वारा M-Form का सत्यापित प्रति न्यायालय में जमा नहीं किया गया।


अंचल अधिकारी, खूँटी से न्यायालय पत्रांक 244/न्या० दिनांक 12.10.18 द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन का मांग किया गया। अंचल अधिकारी, खूँटी ने अपने पत्रांक 941 दिनांक 02.11.18 द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा भण्डरा थाना नं० 79 खाता नं० 110 प्लॉट नं० 789 आर० एस० खतियान गैरमजरूआ खास है रकबा 19.75 एकड़ किस्म जंगल साखु दर्ज है।

वन क्षेत्र भूमि का स्थानान्तरण वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 की धारा 2 में वर्णित "वन भूमि" का अर्थ आरक्षित वन, सुरक्षित वन या सरकारी अभिलेखों में वन (जंगल/झाड़ी) के रूप में दर्ज किया गया कोई भी क्षेत्र, भले ही उसका स्वामित्व किसी का हो, है नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।